संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / / नर्सिंग / संचिशि / 2022 रायपुर, दिनांक /

सूचना

(प्रवेश वर्ष – 2021 प्रथम ऑनलाईन पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग (Post Basic B.Sc. Nursing) पाठ्यक्रम काउंसिलिंग आबंटन सूचना)

आज **दिनांक 15 मार्च, 2022** को छत्तीसगढ़ राज्य के पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग (Post Basic B.Sc. Nursing) महाविद्यालय के शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों की शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश की स्नातक सीटों सहित, का प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग आबंटन सूची जारी की गई, सभी आबंटित अभ्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों के स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (मैनेजमेंट) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019"** का नियम 09 का अध्ययन अवश्य कर ही, स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया प्रारंभ करें :–

यद्यपि अभ्यर्थी से छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के सभी नियमों को अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। आबंटन उपरांत नियमानुसार उचित प्रकिया के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र हो सकते हैं।

जिन अभ्यर्थी को आबंटन प्राप्त हुआ है, वे उपरोक्त उल्लेखित नियम का पालन करते हुए द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होना चाहे हैं, उन्हें स्कूटनी करवाना तथा स्कूटनी में पात्र होना आवश्यक होगा तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में स्कूटनी सहित प्रवेश लेना आवश्यक होगा। तभी आगामी काउंसिलिंग प्रकिया हेतु पात्र होंगें।

[देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 का उपनियम (नौ)]

यदि स्कूटनी में पात्र अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश ले लेते हैं, तो वे ऑनलाईन प्रवेश उपरांत अपग्रेडेशन (Upgradation) हेतु स्वयं अभ्यर्थी ऑनलाईन अपग्रेडेशन (Upgradation) चयन कर सकेगें। अपग्रेडेशन (Upgradation) लेने पर ही द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेगें।

आबंटित अभ्यर्थी प्रवेश नियम 2019 का नियम 9 काउंसिलिंग तथा इससे संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं एवं अपात्र होने से बच सकें।

आबंटित अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार अधोलिखित तिथियों में स्कूटनी एवं प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करें तथा सदैव प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व ही उपस्थित होकर, कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रकिया है।

15/3/22

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु दिनांक जानकारी –

क्र.	विवरण	दिनांक
1	स्क्रूटनी (आबंटन पत्र में उल्लेखित स्क्रूटनी स्थल पर)	दिनांक 15 मार्च, 2022 से 20 मार्च, 2022 (समय 10.00 Hrs से 17.30 Hrs तक)
2	प्रवेश – (आबंटन पत्र में आबंटित संस्था के स्थल पर)	दिनांक 15 मार्च, 2022 से 20 मार्च, 2022 (समय 10.00 Hrs से 17.30 Hrs तक)

दिनांक 18 मार्च, 2022 को होली के अवसर पर अवकाश रहेगा तथा शेष अवकाश के दिनों में भी स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रकिया जारी रहेगी। संस्था इस हेतु व्यवस्था बनाये रखें।

नोटः–

1. स्क्रूटनी की प्रक्रिया आबंटित संस्था में ही की जायेगी, जिस हेतु संबंधित संस्था स्क्रूटनी की व्यवस्था दस्तावेजों की जांच में प्रवेश नियम 2019 का अक्षरशः पालन करें। (अवश्य देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम का नियम 9 काउंसिलिंग प्रक्रिया) यद्यपि अभ्यर्थी/संस्था से सभी नियमों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, ताकि उचित प्रक्रिया एवं नियम का पालन कर सकें।

2. प्रवेश उपरांत **Admission Recipt** जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी रूचि लेकर **Admission Recipt** संस्था से जारी करायें तथा उसकी एक कॉपी अवश्य लें। **[देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 का उपनियम (पच्चीस)]**

   संस्था प्रवेश की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2022 को रात्रि 11.59 बजे (23.59 Hrs) तक **Admission Recipt** जारी कर सकेगें।

   स्क्रूटनी की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2022 को रात्रि 11.00 बजे (23.00 Hrs) तक **Scrutiny Recipt** जारी कर सकेगें।

3. स्क्रूटनी में अथवा प्रवेश में नियम विरूद्ध अर्थात स्क्रूटनी में अपात्र अथवा प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं स्क्रूटनी हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीन प्रकरणों में भी उन्ही की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा। **[देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 का उपनियम (ग्यारह)]**

4. आगामी काउंसिलिंग आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.co.in** का नियमित प्रतिदिन अवलोकन करें।

5. सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय का आबंटन भी संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। **अतः प्रवेश संबंधित कार्यवाही हेतु किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।**

15/03/22
अध्यक्ष
काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

15/3/22
संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़